Blackboard (OB), Non-Formal Education (NFE) and Teacher Education alongwith District Primary Education Programme (DPEP) are the major centrally sponsored schemes. Renewal of curricula, improvement of quality of textbooks, in service training of teachers to improve their professional competence and utilisation of educational technology are some of the other measures to improve quality of education in Government Schools.

Navodaya Vidyalayas in Assam

563. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details regarding location, year-wise financial allocation, amount utilised, projected and already completed construction work at permanent sites of Navodaya Vidyalayas in Assam;

(b) the year-wise sanctions made against specific heads-including those for library, extracurricular activities and other infrastructure;

(c) the school-wise and subject-wise posts lying vacant and the action taken to fill them up; and

(d) the schedule of construction work proposed to be done at the permanent site of Jawahar Navodaya Vidyalaya at Bihpuria, including the current financial year and the target fixed for shifting of the school to its permanent site?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग/ मैडिकल कॉलेज का खोला जाना

564. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की निजी क्षेत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग एंव अन्य तकनीकी कॉलेज खोलने के बारे में क्या नीति है,

(ख) इन कालेजों में शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने के बारे में क्या उपाय किये जा रहें हैं, और

(ग) वर्तमान में देश मं निजी क्षेत्र में राज्य-वार कितने और कौन-कौन से मान्यता प्राप्त मेडिकल एंव इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहें हैं और वे कहां-कहां हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) निजी क्षेत्र में चिकित्सा और तकनीकी संस्थाओं को खोलना सांविधिक विनियमों के माध्यम से क्रमशः भारतीय चिकित्सा परिषदऔर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विनियमित होता है ।

(ख) तकनीकी शिक्षा में स्वतः वित्त पोषित गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित समिति के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमों के अनुसार विनियमित होता है । निजी चिकित्सा कालेजों में शुल्क राज्य सरकारों द्वारा उनकी इस उद्देश्य क लिए नियुक्त समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिकतम निर्धारित शुल्क सीमा के भीतर निर्धारित किया जाता है ।

(ग) मान्यता प्राप्त निजी इंजीनियरिंग और चिकित्सा कालेजों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई

विवरण

मान्यता प्राप्त/अनुमोदित निजी इंजीनियरिंग और चिकित्सा कॉलेजों की राज्य-वार संख्या

क्रं. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीयरिंग कालेजों की संख्या	चिकित्सा कॉलेजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	79	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	-	-
4.	बिहार	3	-
5.	गोआ	1	-
6.	गुजरात	9	1
7.	हरियाणा	20	-
8.	हिमाचल प्रेदश	1	-
9.	जम्मू और कश्मीर	4	1
10.	कर्नाटक	57	15
11.	केरल	3	-
12.	मध्य प्रदेश	12	-
13.	महाराष्ट्र	94	18
14.	मणिपुर	-	1
15.	मेघालय	-	-